413
2 a/f

संख्याः ..../XX-7/ 2017-11(102)/ 2016

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–7 देहरादून दिनांकः 05 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2017

विषयः बैरक में निवासरत पुलिस कार्मिकों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून के पत्र संख्याः डीजी–छः65/2012 दिनांक 03.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्याः 306/एस.एस./2016 हेमचन्द भट्ट बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 के अनुपालन में बैरक में निवासरत समस्त पुलिस कार्मिकों को उनके वेतनमान/ग्रेड पे के अनुसार मकान किराया भत्ता तत्काल प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) बैरक में निवासरत पुलिस कर्मियों को मकान किराया भत्ता सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित दरों पर अनुमन्य किया जाय।

(2) बैरक में निवास कर रहे समस्त पुलिस कर्मियों से बैरक के अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क के रूप में रू0 500/– प्रतिमाह की दर से कटौती की जायेगी

3. इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय सबंधित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 132/XXVII (7)/2017 दिनांक 24 अगस्त, 2017 के प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द वर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 453 / XX(7)/2017–11 (102)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–7 ।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
अनु सचिव।